भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 267

15 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: राज्यों में बंजर भूमि

267. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकिः

(क) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा झारखंड के अंतर्गत आने वालेकुल भौगोलिक क्षेत्र में से बंजर भूमि क्षेत्र कितना है तथा कुल क्षेत्र मेंइसका भाग/प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये विगततीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई योजनाओं केनाम क्या हैं;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गईधनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं के माध्यम से उक्त बंजर भूमि के कितनेक्षेत्र को कृषि योग्य भूमि बनाया गया है?

उत्तर

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री)

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वर्ष 2016-17 के लिए नवीनतम भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, बंजर एवं गैर-कृषि भूमि का ब्यौरा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा झारखंड राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में इसकी हिस्सेदारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

राज्य	**भौगोलिक क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)**	**बंजर एवं गैर-कृषि भूमि (हजार हैक्टेयर)**	**भौगोलिक क्षेत्र में बंजर एवं गैर-कृषि भूमि की हिस्सेदारी (%)**
महाराष्ट्र	30771	1822	5.92
मध्य प्रदेश	30825	1344	4.36
झारखंड	7972	583	7.32

स्रोत:अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है और, इसलिए, बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु कदम उठाना

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय प्राथमिक रूप से वर्षा सिंचित एवं गैर-उन्नत क्षेत्र के विकास को केंद्रीय स्तर पर रखते हुए एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रहा है। भू-संसाधन विभाग ने एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत लगभग 39.07 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कवर करते हुए वर्ष 2009-10 से 2014-15तक **महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड** सहित(अब 27 राज्य तथा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के 2 संघ राज्य क्षेत्र सहित)28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं।आईडब्ल्यूएमपी को वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में मिला दिया गया था। वाटरशैड विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ टीला क्षेत्र समतलीकरण, जल निकासी लाइन शोधन, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी गठन, वनीकरण, बागवानी, चरागाह विकास, परिसंपत्तिविहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका, इत्यादि शामिल हैं।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बंजर भूमियों को कृषि योग्यबनाने औरविकसितकरने के लिए स्थान विशिष्ट जैव-अभियांत्रिकी मृदा एवं जल संरक्षण उपाय, भूमि प्रबंधन तकनीक, खारेपन,क्षारीय, जलप्लवित और अम्लीय मृदाके लिए मृदा सुधार उपायऔर कृषि वानिकी हस्तक्षेपसहित उचित फसल काचुनावविकसित किएहैं।

(ग): डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारंखड) को केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं,परियोजनाओं द्वारा आच्छादित क्षेत्र तथा जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(घ): वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक, (प्रथम तिमाही 2020 सहित) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 6.90 लाख जल संचयन ढांचे सृजित/पुनर्जीवित किए गए हैं। 14.67 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या 31.15 लाख है।

अनुबंध-I

लोक सभा में देय दिनांक 15/09/2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के भाग (ग) के संबंध में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं, परियोजनाओं द्वारा आच्छादित क्षेत्र और केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(क्षेत्र मिलियन हैक्टेयर में, राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत (2009-10 से 2014-15तक)@		वर्षों के दौरान जारी केंद्रीय हिस्सेदारी			
		परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं का क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21(10.09.2020की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	432	1.810	123.35	139.15	144.390	13.655
2	अरूणाचल प्रदेश	156	0.467	9.62	19.17	55.71	
3	असम	372	1.577	65.09	66.55	49.03	19.88
4	बिहार	123	0.612	19.21	46.77	88.367	
5	छत्तीसगढ़	263	1.195	33.45	57.03	47.07	
6	गुजरात	610	3.103	87.51	151.84	77.93	
7	हरियाणा	88	0.362	10.94	10.00	7.13	6.84
8	हिमाचल प्रदेश	163	0.840	26.83	24.04	66.87	
9	झारखंड	171	0.911		28.83	36.77	
10	कर्नाटक	571	2.569	175.69	101.07	21.76	
11	केरल	83	0.423	17.83	13.06	48.77	
12	मध्य प्रदेश	517	2.937	134.84	162.41	221.278	
13	महाराष्ट्र	1186	5.128	279.21	163.33	103.00	
14	मणिपुर	102	0.491	13.84	14.14	1.46	
15	मेघालय	96	0.236	8.95	6.69	1.19	
16	मिजोरम	89	0.373	22.35	23.14	22.27	
17	नागालैंड	111	0.476	32.08	38.51	137.55	1.105
18	ओडिशा	310	1.700	94.48	102.17	83.11	
19	पंजाब	67	0.314	7.96			
20	राजस्थान	1025	5.764	243.59	299.00	119.43	203.4571
21	सिक्किम	15	0.066	1.40		2.127	
22	तमिलनाडु	270	1.368	82.75	90.54		
23	तेलंगाना	330	1.399	51.14	81.93	33.50	
24	त्रिपुरा	65	0.213	16.66	15.89	10.75	3.87
25	उत्तराखंड	65	0.346	9.97	6.98		
26	उत्तर प्रदेश	612	3.045	63.93			
27	पश्चिम बंगाल	163	0.693	15.48	46.39	92.87	
संघ राज्य क्षेत्र							
28	जम्मू और कश्मीर	159	0.652	43.66	71.87		
29	लद्दाख						
	कुल	**8214***	**39.07**	**1691.81**	**1780.5**	**1472.332**	**248.8071**

@तत्कालीन एकीकृतवाटरशेडप्रबंधनकार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत संस्वीकृत, जिसे वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) के रूप में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 से कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई है। 8214 परियोजनाओं में से, 1832 परियोनाएं (345 प्रारंभ न की गई + 1487 शुरुआती चरण वाली परियोजनाएं) वर्ष 2018 में राज्य नीतियों के साथ कार्यान्वित किए जाने के लिए राज्यों को अंतरित की गई थीं।

10.09.2020 की स्थिति के अनुसार तत्कालीन आईडब्ल्यूएमपी के तहत जारी निधियों सहित।

नोट: 1)जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को हाल ही में संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में सृजित किया गया है।डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में शुरु नहीं किया गया है।

2) गोवा में कोई संस्वीकृत परियोजना नहीं है।

**8214 परियोजना में से, 9.47 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1832 परियोजनाएं राज्य बजट से कार्यान्वित किए जाने के लिए राज्यों को अंतरित की गई हैं।*

******